दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 11.03.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

<u>अध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

<u>सदस्य</u>

1. श्री विजय कुमार सिंह,
   वित्त सदस्य, दिविप्रा
2. श्री डी सी गोयल,
   अभियंता सदस्य, दिविप्रा
3. श्री कामरान रिजवी,
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल,
   सदस्य सचिव, एनसीआर योजना बोर्ड
5. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री ओ पी शर्मा, विधायक

सचिव

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दिविप्रा

विशेष आमंत्रिती

1. डॉ राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूदृश्यांकन, आवास एवं उद्यान), दिविप्रा
2. श्री ज्ञानेश भारती

   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
3. श्री संजय गोयल

   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
4. श्री विकास आनंद

   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

माननीय उप राज्यपाल सचिवालय

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला

   माननीय उप राज्यपाल की सचिव
2. श्रीमती साक्षी मित्तल

   माननीय उपराज्यपाल की विशेष सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 12/2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 18.01.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ 2(02)2022/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 18.01.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

मद सं. 13/2022

दिनांक 18.01.2022 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(02)2022/एमसी/डीडीए/पार्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 18.01.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआरएस) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट किया गया:-

श्री विजेन्द्र गुप्ता

1. पीएम-उदय योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित मुख्य योजना सड़कों के संरेक्षण पर आने वाली कॉलोनियों के निवासियों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। मामले पर चर्चा करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों के साथ यथाशीघ्र एक बैठक निर्धारित की जाए।

श्री सोमनाथ भारती

1. पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत रूप से पंजीकरण कराने के लिए ग्राम सभा की भूमि पर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे

मामलों की जांच के लिए प्राधिकरण के सदस्यों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाए।

2. जंगपुरा में डी जे बी प्लॉट के भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु वैकल्पिक भूमि की पहचान की जाए ताकि भूमि वरिष्ठ माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय को आबंटित की जा सके।
3. चूंकि सीमांकन और टीएसएस रिपोर्ट न्यायालयों में प्रस्तुत की गई है, अत: खसरा संख्या 277, ग्राम हौज खास के संबंध में स्थगन आदेश(स्टे आर्डर) को हटाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। परिसर की पूर्व सीलिंग, यदि कोई हो, के संबंध में पिछले रिकॉर्डों का सत्यापन किया जाए।
4. विजय मंडल पार्क, बेगमपुर में स्थित भूमि के संबंध में, संबंधित न्यायालयों में मामलों को लगातार स्थगित किया जा रहा है। संबंधित पैनल वकीलों को मामले का उचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। स्थल का संयुक्त स्थल निरीक्षण निर्धारित किया जाए।
5. प्राधिकरण सदस्यों को उनके द्वारा दि.वि.प्रा. के साथ उठाए गए मामलों की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए ऑनलाइन पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले की तरह प्रदान किया जाना चाहिए।
6. करोल बाग में भगवती मार्किट, बैंक स्ट्रीट और पूसा लेन में 3 एमसीडी स्कूलों के संबंध में, आबंटन रिकॉर्ड को समझाने के लिए प्राधिकरण सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाए।
7. गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मां आनंदमयी मार्ग से हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन तक मार्ग सेतु (वायाडक्ट) के नीचे की भूमि के मामले में संबंधित आबंटन की स्थिति बताई जाए।
8. पुन: अनुरोध किया जाता है कि विराट पार्क स्थित उत्सव स्थल का उपयोग ब्लड बैंक के लिए अंबेडकर नगर अस्पताल के विस्तार के लिए किया जाए।

9. गुलमोहर पार्क में एक वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र विकसित किया जाए।
10. अर्जुन नगर में 2.84 एकड़ के खाली प्लॉट तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए अतिक्रमण हटाया जाए।

<u>श्री ओ पी शर्मा</u>

1. सभी समाप्त पट्टों को वर्तमान दरों पर समयबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। मामले को तय करने के लिए बैठक होनी है।
2. विश्वास नगर में 60 फुट मार्गाधिकार और शांति स्वरूप भटनागर मार्ग के मार्गाधिकार पर अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के मामले में पिछले 7 वर्षों से कार्रवाई की जा रही है। इन मामलों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए।
3. सामुदायिक भवन जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका है, उन्हें यथाशीघ्र चालू किया जाए।
4. संपत्ति के लीज-होल्ड से फ्री होल्ड के परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

<u>मद संख्या 14/2022</u>

मुख्य राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की स्थापना के लिए आबंटित 0.6769 हेक्टेयर (6769.60 वर्ग मीटर) भूमि के वसंत विहार, नई दिल्ली को "आवासीय" से "सरकारी (जी 2)" में बदलने का प्रस्ताव।

एफ.पीएलजी/एमपी/0055/2021-एफ-3

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के तहत आपत्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 15/2022</u>

रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ई-वेस्ट मैनेजमेंट (इको पार्क) की स्थापना के लिए आवासीय आरडी से उपयोगिता-यू4 तक 8.50 हेक्टेयर(21 एकड) भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन।

एफ.पी.एल.जी/ एम.पी/0067/2021/एफ-20/ओ-ओ/एडीशनल कमीशनर(प्लानिंग)-II

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा II-ए के तहत आपत्तियॉ/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या. 16/2022</u>

जोन-एफ में आने वाली 79.73 हेक्टेयर की पुनर्विकास योजना, जिसमें "विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय" के विकास हेतु पहले से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) के कब्जे में 5 भू-खण्ड शामिल हैं और एम्स हेतु 1.69 हैक्टे. भूमि के भूमि उपयोग में मनोरंजनात्मक (सिटी पार्क/जिला पार्क/सामुदायिक पार्क) से पी एस-1 (शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय) में परिवर्तन

एफ.पी.एलजी/एमपी/0039/2020/एफ-3

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया:

i. दि.मु.यो-2021 के अध्याय 17 के भवन नियंत्रण के लिए उप खण्ड 8(3) विनियमों के तहत अनुमोदन के अनुसार, परिसर को सौंपे गए विकास नियंत्रण मानदण्ड एम्स को सूचित किए जाएंगे।

ii. पुनर्विकास के लिए परिसर के क्षेत्र को चिहिन्त करने के लिए दि.मु.यो. 2021 के तहत तैयार जोन-एफ की क्षेत्रीय योजना में संशोधन के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11- ए के तहत आपत्ति/सुझाव को आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

iii. पश्चिम अंसारी नगर परिसर में 1.69 हेक्टेयर भू-खण्ड के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक(सिटी पार्क/जिला पार्क/सामुदायिक पार्क) से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं-पी एस-1(शिक्षा और अनुसंधान विश्व विद्यालय) में बदलने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-ए के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 17/2022</u>

दि.वि.प्रा. (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम 1968 में संशोधन 1/0027/2019/ कोर्ड /हाउसिंग (कॉर्ड)

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मामले को दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

श्री विजेंदर गुप्ता

1. नजूल संपत्तियोंकी लीज से संबंधित निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाए:

i) ऐसे मामले जिनमें लीज निरस्त करने के बाद अभी तक पुनः प्राप्त नहीं की गई है और जो फ्री होल्ड में परिवर्तित नहीं की जा सकती।

ii) ऐसे मामले जिनमें लीजहॉल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन में क्षति प्रभारों को जमा नहीं किया गया है।

iii) ऐसे मामले जिनमें कोई लीज निष्पादित की गई थी और जिनका आबंटन केवल 1947 में जारी एक आबंटन पत्र के आधार पर किया गया है।

iv) संपत्ति के अंतिम स्वामी के पक्ष में फ्रीहोल्ड का परिवर्तन के मामले जहां स्वामित्व बदले गए हैं।

2. लीजहॉल्ड से फ्रीहोल्ड में संपत्ति के परिवर्तन के संबंध में, बिना कारण बताए कई मामले लंबित है। इन मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाये जाने चाहिए।

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिल्ली अपार्टमेंट ओनर्शिप एक्ट के अनुसार, दिविप्रा को, दिविप्रा की भूमि पर बिल्डरों द्वारा विकसित संपत्ति के लिए बिल्डरों द्वारा प्रदत्त विवरणों के अनुसार मामला आगे बढ़ाना चाहिए।

4. धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि आबंटन के लिए नीति को प्राथमिकता आधार पर अंतिम रूप दिया जाए।

5. दिविप्रा द्वारा विकसित समाज सदन का रखरखाव नहीं किया गया है और वे अनुपयोगी है, जबकि दिविप्रा को समाज सदन की बुकिंग जारी रखनी चाहिए, अन्य सुविधाओं को आउट्सोर्स किया जाना चाहिए।

6. दिविप्रा के पैनल पर रखें वकीलों के लिए फीस भारत सरकार के अनुमोदित दरों के सममुल्य होना चाहिए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

1. दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार दिविप्रा को सामुदायिक केंद्रों के लिए गौतम नगर में 4 एकड़ भूमि आबंटित करनी अपेक्षित थी। चूंकि इस भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए आबंटित किया गया है, इसीलिए सामुदायिक केंद्र के लिए भूमि किसी अन्य स्थान पर प्रदान की जाए।

2. दिविप्रा को, दिविप्रा पार्कों में रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार को हाई मास्ट पोल पर राष्ट्रीय झंडा लगाने के लिए अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

<u>श्री ओ पी शर्मा</u>

1. न्यू संजय अमर कॉलोनी दो स्कीमों अर्थात पी एम उदय स्कीम और "जहां झुग्गी वहाँ मकान" स्कीम के अंतर्गत आती है और ये दोनों ही स्कीमें विशिष्ट है। 100 से अधिक व्यक्तियों ने पी एम उदय स्कीम के अंतर्गत पहले से ही सी डी/ ए एस प्राप्त कर लिया है। विवाद से बचने के लिए दिविप्रा कोतत्काल आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कॉलोनी किस स्कीम के अंतर्गत आती है।

2. प्रीत विहार क्लब और ग्रेट गेट्सबी क्लब के लिए गैर कानूनी रूप से आबंटित लीज को रद्द करने की स्थिति बताई जाए।

3. पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1947 में वेलकम कॉलोनी, सीमापुरी में रिफ़्यूजियों को आबंटित संपत्तियों की सीलिंग दिविप्रा द्वारा अवांछनीय है। मामले की स्थिति बताई जाए।

माननीय उप राज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।